

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार मा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 11/4/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड-39-2245021010002 मद में ₹635.00 लाख, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - 39-2245021010003 मद में ₹660.00 लाख, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान, विपत्र कोड - 39-2245021010005 मद में ₹635.00 लाख, उपशीर्ष-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान, विपत्र कोड - 39-2245021010006 मद में ₹635.00 लाख, उपशीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान, विपत्र कोड - 39-2245021010007 मद में ₹635.00 लाख, लघुशीर्ष-104-चारे की पूर्ति, उपशीर्ष-0001-चारे की पूर्ति, विपत्र कोड - 39-2245021040001 मद में ₹16.50 लाख, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड- 39-2245021120002 मद में ₹1270.00 लाख, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए), विपत्र कोड- 39-2245021140001 मद में ₹1270.00 लाख, लघुशीर्ष-117-पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0002- दुधारू पशुओं का बदलाव, विपत्र कोड - 39-2245021170002 मद में ₹16.50 लाख, उपशीर्ष-0003- जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव, विपत्र कोड - 39-2245021170003 मद में ₹33.00 लाख कुल ₹ 5806.00 लाख (अनठावन करोड़ छः लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान, उपशीर्ष-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान, उपशीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान, लघुशीर्ष-104-चारे की पूर्ति, उपशीर्ष-0001-चारे की पूर्ति, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए), लघुशीर्ष-117-पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0002- दुधारू पशुओं का बदलाव, उपशीर्ष-0003- जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त 38 (अड़तीस) जिलों को लघुशीर्ष/उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार एवं विपत्र कोड सहित पूर्व एवं वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न है।

4. यह आवंटन जिलों को अग्निकांड के पूर्व तैयारी हेतु निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि राशि के शतप्रतिशत व्ययपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अध्याचना की जाए।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा

2245-02 - बाढ़ चक्रवात आदि-बाढ़ साहाय्य पत्रांक- 02 माह दिनांक- 11/4/18
विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 02 माह /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/4/18
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 02 माह /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/4/18
प्रतिलिपि: सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 02 माह /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/4/18
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 02 माह /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/4/18
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 02 माह /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/4/18
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

क्र०	जिला का नाम	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति 39-2245021010002 विषय शीर्ष- 37 01 अनुग्रह अनुदान		2245-02-101-0003- सतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का मुगतान 39-2245021010003 विषय शीर्ष- 37 01 अनुग्रह अनुदान		2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान 39-2245021010005 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु		245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए अनुदान 39-2245021010006 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	पटना	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2	भोजपुर	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
3	बक्सर	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
4	सारण	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
5	सीवान	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
6	गोपालगंज	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
7	मुजफ्फरपुर	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
8	वैशाली	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
9	सीतामढ़ी	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
10	शिवहर	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00
11	पूर्वी चम्पारण	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
12	पश्चिम चम्पारण	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
13	दरभंगा	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
14	मधुबनी	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
15	समस्तीपुर	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
16	बेगूसराय	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
17	खगड़िया	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
18	मुंगेर	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
19	लखीसराय	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00
20	भागलपुर	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
21	सहरसा	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
22	मधेपुरा	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
23	सुपौल	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
24	पूर्णियाँ	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
25	कटिहार	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
26	अररिया	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
27	किशनगंज	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
28	नालदा	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
29	गया	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
30	नवादा	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
31	जहानाबाद	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00
32	औरंगाबाद	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
33	रोहतास	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
34	बाँका	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
35	कैमूर	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
36	शेखपुरा	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00
37	जमुई	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00
38	अरवल	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00
कुल योग		0.00	635.00	0.00	660.00	0.00	635.00	0.00	635.00

पत्रांक - 02 आग

दिनांक - 11/4/14



क्र०	जिला का नाम	2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान 39-2245021010007 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु		2245-02-104-0001-घारे की पूर्ति 39-2245021040001 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु		2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण 39-2245021120002 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	पटना	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
2	भोजपुर	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
3	बक्सर	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
4	सारण	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
5	सीवान	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
6	गोपालगंज	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
7	मुजफ्फरपुर	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
8	वैशाली	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
9	सीतामढ़ी	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
10	शिवहर	0.00	10.00	0.00	0.30	0.00	20.00
11	पूर्वी चम्पारण	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
12	पश्चिम चम्पारण	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
13	दरभंगा	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
14	मधुबनी	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
15	समस्तीपुर	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
16	बेगूसराय	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
17	खगड़िया	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
18	मुंगेर	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
19	लखीसराय	0.00	10.00	0.00	0.30	0.00	20.00
20	भागलपुर	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
21	सहरसा	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
22	मधेपुरा	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
23	सुपौल	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
24	पूर्णिया	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
25	कटिहार	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
26	अररिया	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
27	किशनगंज	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
28	नालंदा	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
29	गया	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
30	नवादा	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
31	जहानाबाद	0.00	10.00	0.00	0.30	0.00	20.00
32	औरंगाबाद	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
33	रोहतास	0.00	20.00	0.00	0.50	0.00	40.00
34	बाँका	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
35	कैमूर	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
36	शेखपुरा	0.00	10.00	0.00	0.30	0.00	20.00
37	जमुई	0.00	15.00	0.00	0.40	0.00	30.00
38	अरवल	0.00	10.00	0.00	0.30	0.00	20.00
कुल योग		0.00	635.00	0.00	16.50	0.00	1270.00

पत्रांक - 02/2020


दिनांक - 11/4/17

क्र०	जिला का नाम	2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अनुदान (मतिग्रस्त फसलों के लिए) 39-2245021140001 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु		2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव 39-2245021170002 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु		2245-02-117-0003-जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव 39-2245021170003 विषय शीर्ष- 35 01 नगद / वस्तु		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	पटना	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
2	भोजपुर	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
3	बक्सर	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
4	सारण	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
5	सीवान	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
6	गोपालगंज	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
7	मुजफ्फरपुर	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
8	वैशाली	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
9	सीतामढ़ी	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
10	शिवहर	0.00	20.00	0.00	0.30	0.00	0.60	0.00	93.20
11	पूर्वी चम्पारण	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
12	पश्चिम चम्पारण	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
13	दरभंगा	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
14	मधुबनी	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
15	समस्तीपुर	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
16	बेगूसराय	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
17	खगड़िया	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
18	मुंगेर	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
19	लखीसराय	0.00	20.00	0.00	0.30	0.00	0.60	0.00	93.20
20	भागलपुर	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
21	सहरसा	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
22	मधेपुरा	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
23	सुपौल	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
24	पूर्णिया	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
25	कटिहार	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
26	अररिया	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
27	किशनगंज	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
28	नालंदा	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
29	गया	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
30	नवादा	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
31	जहानाबाद	0.00	20.00	0.00	0.30	0.00	0.60	0.00	93.20
32	औरंगाबाद	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
33	रोहतास	0.00	40.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	182.00
34	बाँका	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
35	कैमूर	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
36	शेखपुरा	0.00	20.00	0.00	0.30	0.00	0.60	0.00	93.20
37	जमुई	0.00	30.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	137.60
38	अरवल	0.00	20.00	0.00	0.30	0.00	0.60	0.00	93.20
कुल योग		0.00	1270.00	0.00	16.50	0.00	33.00	0.00	5806.00

(अनटावन करोड़ छः लाख रूपये)

पत्रांक - 02 माग

दिनांक - 11/4/18



सयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग